भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1742
(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए विधिक सहायता</u>

1742. श्री देवेंदर गौड टी. :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी विधि में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व चूककर्ताओं के लिए किसी उपबंध की व्यवस्था नहीं की गई है;
(ख) क्या कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुपालन को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधेयक को संशोधित किए जाने की कोई योजना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्ष 2014-15 में कंपनियों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र-वार कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा वाली प्रत्येक कंपनी के लिए अधिनियम के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधानों का पालन करना और अपनी बोर्ड रिपोर्ट में अपनी सीएसआर नीति की विषय-वस्तु का प्रकटीकरण अनिवार्य है। इस संबंध में अनुपालन नहीं करने पर शास्ति प्रावधान अधिनियम की धारा 134(8) में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : अधिनियम की धारा 135 के अनुसार कंपनियों द्वारा सीएसआर का अनुपालन करने के प्रावधान कानून द्वारा बाध्य हैं।

(घ) : अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन का यह पहला वर्ष है। वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर व्यय की अनुमानित राशि का पता सितंबर, 2015 के बाद कंपनियों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण फाइल करने के बाद ही चल पाएगा। इस अवस्था में सीएसआर व्यय की राशि का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

*****